SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL **PROCEDUR** CODE, 1898

In the court of.

जेएमएफसी गोहद

प्रकरण कमांक 75 / 2018

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद अर्थ । अर्थ भिण्ड म०प्र० विवास है । विवास है ।

name, parentage, caste and address of accused-

1. 202115 57.0 METER STEP Blo-

The offence complained of, and date of its alleged commission

my hot of 29-4-10 of 9-45 of & Am my error

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the

offence has been committed.

जेएमएफसी गोहद

## / / निर्णय / /

(आज दिनांक 15-5-19 को पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 34 का अतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
- 3. फलस्वरूप आरोपी को धारा 3 4 का अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1100/- रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता | 号
- प्रकरण में मुददे माल किन्छ किम उगके की ओर भेजी जावे
- 5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोहद

दिनांक- 15-5-10

हस्ताक्षरित क्रूर घोषित किया गया

(शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहद

निर्णय आज दिनांकित एवं मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

जेएमएफसी गोहद